**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**(1) प्रकरण सं0 : अपील डिक्री/टी.ए./2741/2008/नागौर**

**(2) प्रकरण सं0 : अपील डिक्री/टी.ए./2744/2008/नागौर**

1. सम्पतसिंह पुत्र रामबल्लभ चारण
2. करणीदान सिंह पुत्र रामबल्लभ चारण
   निवासी शिव तहसील मेडता जिला नागौर

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. हरिसिंह पुत्र लखसिंह चारण निवासी शिव तहसील मेडता जिला नागौर
2. श्रीमती भंवर कंवर पुत्री बृजलाल पत्नी लक्ष्मणसिंह चारण निवासी सुभाष मार्ग सी–स्कीम, जयपुर
3. मु0 सन्तोष कंवर पुत्री बृजलाल पत्नी रघुनाथ सिंह निवासी किशनपुरा जिला जयपुर हाल निवासी गुदडवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
4. मु. कमला पुत्री बृजलाल पत्नी रामजीवन चारण निवासी 194तारानगर, झोटवाडा जिला जयपुर
5. आवड सिंह पुत्र जयकरण चारण निवासी डीडवाना रोड नागौर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मेडता

**–प्रत्यर्थीगण**

**(3) प्रकरण सं0 : अपील डिक्री/टी.ए./4119/2008/नागौर**

1. हरिसिंह पुत्र लखसिंह चारण निवासी शिव तहसील मेडता जिला नागौर

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. सम्पतसिंह पुत्र रामबल्लभ चारण
2. करणीदान सिंह पुत्र रामबल्लभ चारण
   निवासी शिव तहसील मेडता जिला नागौर
3. श्रीमती कल्याण कंवर उर्फ भंवर कंवर पुत्री बृजलाल पत्नी लक्ष्मणसिंह चारण निवासी सुभाष मार्ग सी–स्कीम, जयपुर
4. मु0 सन्तोष कंवर पुत्री बृजलाल पत्नी रघुनाथ सिंह निवासी किशनपुरा जिला जयपुर हाल निवासी गुदडवास तहसील

लक्ष्मणगढ जिला सीकर

5. मु. कमला पुत्री बृजलाल पत्नी रामजीवन चारण निवासी 194 तारानगर, झोटवाडा जिला जयपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मेडता

**–प्रत्यर्थीगण**

**<u>खण्ड–पीठ</u>**
**श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य**
**श्री चैनसिंह पंवार, सदस्य**

**उपस्थितः–**

1. श्री पूर्णाशंकर दशौरा, अधिवक्ता, अपील संख्या–2741/08 एवं 2744/08 में अपीलार्थीगण तथा अपील संख्या–4191/08 में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से
2. श्री बंसन्त विजयवर्गीय एवं श्री विजय सोनी, अधिवक्ता अपील संख्या 4119/08 में अपीलार्थी तथा अपील संख्या–2741/08 एवं 2744/08 में प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से
3. श्री आर.के. पारीक, अधिवक्ता अपील संख्या–2741/08 एवं 2744/08 में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 एवं अपील संख्या–4119/08 में प्रत्यर्थी संख्या– 5 की ओर से
4. श्री राघवेन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपील संख्या–2741/08 एवं 2744/08 में में प्रत्यर्थी संख्या– 5 की ओर से
5. श्री अशोक नाथ, अधिवक्ता अपील संख्या 4119/08 में प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से
6. श्री आर.के. गुप्ता, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या– 6

**निर्णय**

**दिनांक 14–2–13**

हस्तगत तीनों अपीले धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–02–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. तीनों अपीलों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारान तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत होने से इनका निस्तारण विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ किया जा रहा है, निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. संक्षेप में तीनों प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेडता के न्यायालय में वादी हरिसिंह पुत्र लखसिंह ने प्रतिवादी सम्पतसिंह, करनीदान, बृजलाल एवं राजस्थान सरकार के विरुद्ध विवादित आराजी के बंटवारे का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एव 54 के अन्तर्गत वाद संख्या–150/1997 दिनांक 11–7–1997 को प्रस्तुत कर पारिवारिका समझौतापत्र दिनांक 24–2–1996 के अनुसार अलग खाता कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी सम्पतसिंह व करनीदान ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या–3 बृजलाल का देहान्त हो जाने से उसकी जायन्दा पुत्रियों की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर चार तनकियात कायम की गई। उक्त वाद के विचाराधीन रहते वादी हरिसिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः नया वाद संख्या 153/2005 दिनांक 15–9–2005 को प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 6–3–2006 से पूर्ववर्ती वाद संख्या 150/1997 के साथ समेकित किये जाने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–09–2007 से विवादित आराजी में वादी हरीसिंह को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–3 के कायम मुकाम को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादी सम्पतसिंह व करणीदान की ओर से

अपील संख्या 138/2007 तथा वादी हरिसिंह की ओर से अपील संख्या 141/2007 राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। राजस्व अपील प्राधिकारी ने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तगण की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–02–2008 से अपील संख्या 138/2007 को खारिज कर दिया तथा अपील संख्या 141/2007 हरिसिंह बनाम सम्पतसिंह को स्वीकार करते हुए विवादित आराजियामें में उन्हें 1/4 हिस्से का एवं बृजलाल के वारिसान को खसरा नम्बर 60 मि0 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह तीनों द्वितीय अपीलें राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. योग्य अधिवक्ता श्री पूर्णाशंकर दशौरा ने अपनी बहस में अपील संख्या 2741/08 एवं 2744/2008 के मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्ध होने तथा आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार प्रतिवादीगण को सम्पूर्ण शहादत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया एवं तनकीयात भी प्लीडिंग्स् के आधार पर कायम नहीं कर निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर भी कोई निर्णय पारित नहीं किया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रतिवादी बृजलाल ने अपना हिस्सा वर्ष 1959 में धन्ना कामदार को बेचान कर दिया था, अतः बृजलाल का कोई हिस्सा विवादित भूमि में नहीं रहता है। किन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा बृजलाल के वारिसान को विवादित भूमि में 42 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार घोषित कर विधिक त्रुटि कारित की

गयी है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह स्वीकार किया है कि बृजलाल द्वारा 128 बीघा भूमि का बेचान करना प्रमाणित हुआ है, बाकी 34 बीघा 10 बिस्वा का बैचान प्रमाणित नहीं है। केवल यह आधार लेकर उक्त तनकी संख्या–1 को वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में निर्णीत करने में त्रुटि कारित की गयी है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का निर्णय रिकार्ड पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय एवं डिक्री में यह मानते हुए कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु दोनों पक्ष आपसी समझौता स्वीकार करते है। इसलिए खसरा नम्बर 60 रकबा 84 बीघा 11 बिस्वा पारिवारिक समझौते के तहत नारायण सिंह के नाम मानकर, प्रतिवादी अपीलार्थी संख्या–1 द्वारा पचास हाजर रुपये में क्रय करने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना मानकर पारिवारिक समझौते को सही मानकर वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में 1/4 हिस्से की भूमि की डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के बजाय अन्तिम डिक्री जारी कर दी। उनका कथन है कि उनके पक्षकार ने प्रतिवाद पत्र में यह स्पष्ट कथन किया था कि नारायणसिंह का हिस्सा प्रतिवादी करणीदान द्वारा खरीद लिया गया था व उक्त भूमि पर करणीदान का कब्जा चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी थी। फिर भी दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अविधिक रूप से उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित करने में भारी त्रुटि की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयो ने तनकी संख्या 4 का विवेचन नहीं कर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है। उक्त तनकी में यह सिद्ध होना था कि बृजलाल का विवादित भूमि में हिस्सा था तथा उक्त हिस्से का बेचान किया जा चुका है। इसलिए बृजलाल के वारिसान का अब कोई हिस्सा विवादित भूमि में नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील

को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2000 आरबीजे पेज 175, 2004 आबीजे पेज 330, 2012 आरबीजे पेज 55, 1998 आरआरडी पेज 44, 2001 आरआरडी पेज 78, 1995 आरआरडी पेज 494, 2004 आरआरडी पेज 785, 2003 डीएनजे (एससी) पेज 193, एआईआर 1999 एससी पेज 976, 2007 आरबीजे पेज 218 एवं 2009 आरआरटी पार्ट–II पेज 769 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण श्री बंसन्त विजयवर्गीय एवं श्री विजय सोनी ने अपील संख्या 4119/2008 के मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों, अभिवचन, साक्ष्य तथा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित नहीं किये जाने से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि उल्लिखित सजरें के अनुसार स्वर्गीय गोविन्द राम की कुल सम्पत्ति में वादी का 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता व पति बृजलाल का 1/2 हिस्सा माना गया। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में से बृजलाल द्वारा जो भूमि दिनांक 2–5–1959 को बेचान की गयी, उसको उसके हिस्से में से घटाकर शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हिस्से में मानी जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गयी है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 209 को अस्वीकार कर दिया तथा विक्रय की गयी भूमि को शामिल किये बिना आदेश पारित कर दिया जो साक्ष्य एवं दस्तावेज के पूर्णतः विपरीत है। उनका कथन है कि पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद था जिसके अनुसार दोनों ही अधीनस्थ न्यायलायों को केवल यह निर्णीत करना था कि संयुक्त भूमि कुल कितनी थी, जिसमें

पक्षकारान का हिस्सा किस प्रकार से है। पक्षकारान ने कितनी कितनी भूमि का बेचान विधिनुसार कर दिया है तथा विधिनुसार बेचान की गयी भूमि के बाद किसी पक्षकार के हिस्से में कितनी भूमि शेष रही। इन तथ्यों का निर्धारण करते हुए विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी। किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री को संशोधित करते हुए प्रस्तुत अपील के चरण संख्या-6 में वर्णित कथनानुसार पक्षकारान के मध्य उक्त भूमि का विधि अनुरूप विभाजन किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया जावे। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2008 (1) आरआरटी पेज 165, 2004 (1) डब्ल्यूएलसी (एससी) सिविल पेज 232, 1997 (2) डब्ल्यूएलसी (राज) पेज 203 तथा 2009 (2) आरआरटी पेज 1293 के न्यायालय दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

7. योग्य अधिवक्ता श्री आर.के. पारीक एवं श्री अशोक नाथ ने अपनी बहस में अपील संख्या 4119/2008 में प्रस्तुत क्रास आब्जेशन के प्रार्थनापत्र एवं उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की थी, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा संशोधित कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है। उनका कथन है कि दावा घोषणा का नहीं होकर केवल मात्र विभाजन का दावा था। दावा दायरी की दिनांक को बृजलाल का विवादित भूमि की जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा प्रमाणित है। उनका कथन है कि खसरा संख्या 58 का बेचान बृजलाल ने नहीं किया। यदि बृजलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया होता तो जमाबन्दी में उसका नाम नहीं आता। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-2-2008 को निरस्त करते हुए विचारण

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–9–2007 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त पत्रावली एवं दस्तावेजों का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

9. विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत अभिकथनों के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गयी–

1. आया वाद के फिकरा नम्बर–1 में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की है ? –वादीगण
2. आया उक्त मुतनाजा आराजी का माफिक पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 24–2–1996 के वाद के फिकरा नम्बर–3 में बताये अनुसार बंटवाडा हो चुका है ? वादीगण
3. आया नारायण सिंह का हिस्सा प्रतिवादी करणसिंह का खरीदशुदा है ? प्रतिवादी
4. आया बृजलाल अपना हिस्से का बेचान कर चुका है इसलिए इस आराजी में बृजलाल के उत्तराधिकारीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है ? प्रतिवादी

10. तनकी संख्या–1 के निर्णय में विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को प्रदर्श–1 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होना माना है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का जवाबदावा में यह कहना है कि बृजलाल ने अपना हिस्सा 1959 में ही धनजी कामदार को बेचान कर दिया, उसके बाद बृजलाल का इस भूमि में कोई हक नहीं रहा। प्रदर्श–1–ए जो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने पेश किया है उसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि बृजलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया हो। इसमें खसरा नम्बर 253

रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा पूरे व खसरा नम्बर 60 में से 45 बीघा का उल्लेख है। इस प्रकार बृजलाल द्वारा केवल 128 बीघा भूमि का बेचान करना प्रमाणित होना मानते हुए बाकी 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान करना प्रमाणित नहीं माना है। इसलिए प्रतिवादीगण यह प्रमाणित नहीं कर पाये कि बृजलाल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया। अतः तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष में तय की गयी है। तनकी संख्या–2 के निर्णय में यह अंकित किया गया है कि वादी यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि दिनांक 24–2–1996 को कोई पारिवारिक समझातौ पक्षकारान के बीच हुआ हो। चूंकि वादी इस पारिवारिक समझातौ की असल लिखापढी पेश नहीं की है। पारिवारिक समझौता हुआ इस बात को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने जवाबदावे में स्वीकार करते है। जवाबदावे के अनुच्छेक संख्या–3 में दिनांक 23–5–1969 को समझौता पत्र लिखे जाने का उल्लेख करते है तथा नारायणसिंह के हिस्से में जो 44 बीघा 11 बिस्वा भूमि आयी थी उसे उसने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दी। इस तथ्य को करणीदान ने अपने बयान की आखिरी पंक्तियों में इस प्रकार स्वीकार किया है– हरीसिंह ने जो दावा में विभाजन बताया है वह सही है केवल खसरा नम्बर 60 का रकबा हमारे बंट में 42 बीघा गलत लिखा है। इस प्रकार तनकी संख्या–2 को वादी इस हद तक तो साबित करने में कामयाब रहा है कि पारिवारिक समझौते से भूमि विभाजित है। अतः वादी का सम्पूर्ण भूमि में चौथे हिस्से की प्राथमिक डिक्री सादिर की जा सकती है। तनकी संख्या–3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पर था। अचल सम्पत्ति के बेचान की कीमत 50,000 हजार रूपये बताये है, जो रजिस्टर्ड बैचानामा से ही विधि मान्य है। ऐसा बेचान जुबानी या अपंजीकृत है तो विधिमान्य नहीं है। इसके अलावा ऐसी कोई परिस्थिति भी नही बताई है जिससे बेचाननामा नारायणसिंह से नहीं करवा सके। अतः तनकी संख्या–3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–4 के विवेचन की कोई

आवश्यकता होना नहीं माना है क्योंकि विचारण न्यायालय ने बृजलाल द्वारा किये गये बेचान बाबत् तनकी संख्या–1 में विश्लेषण कर दिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्तानुसार तनकीयात का विश्लेषण करने के उपरान्त विवादित आराजियात में वादी हरीसिंह का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–3 के कायम मुकामान का 1/2 हिस्सा तन्हा बंट कब्जे काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत् प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजियात में पक्षकारान के हिस्से का निर्धारण सही रूप से किया है। केवल मात्र प्रतिवादीगण द्वारा बेचान की गयी भूमि बाबत् स्पष्ट अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है।

11. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता का हवाला देकर एवं 1985 आरआरडी पेज 736, 1990 आरआरडी पेज 262 एवं 1998 आरआरडी पेज 44 का हवाला देकर तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय से स्पष्ट है कि उनके द्वारा तनकीयात बनाकर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अपने निष्कर्ष में विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत है, अतः आदेश 41 नियम 31 पर अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त 2000 आरबीजे पेज 175, 2004 आरबीजे पेज 330, 2011 आरआरटी (II) पेज 968 इस पर लागू नहीं होते है। वरन् योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2006 डब्ल्यूएलसी (एससी) पेज 639, 2008आरआरटी (I) पेज 165 जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत हो वहां तनकीवार निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं है, इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। फिर भी अपीलीय न्यायालय के निर्णय को देखने से स्पष्ट होता है कि

उन्होंने प्रत्येक विवाद्यक को विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया है।

12. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि काउन्टर क्लेम को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना आवश्यक था। उनका यह भी तर्क है कि समेकित किये गये वाद पर भी निर्णय नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने काउन्टर क्लेम को तनकी संख्या–1 में निर्णीत किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट अंकन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 के विवेचन में प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम का निस्तारण भी किया गया है। अतः काउन्टर क्लेम बाबत् अलग से तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो पश्चात्वर्ती वाद विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 6–3–2006 को समेकित किया गया है, वह वाद संख्या 153/2005 हरिसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31–8–2006 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर समेकित वाद में प्रार्थी प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र देहिन्दा के दस्तावेज रिकार्ड पर लेकर तनकीयात कायम करने एवं साक्ष्य ली जाकर वादी हरीसिंह द्वारा पेश साक्ष्य से जिरह करवा कर अन्तिम बहस सुने जाने की प्रार्थना की। वादी हरिसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर उक्त प्रार्थनापत्र को केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने की नियत से पेश किया जाना मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 3–10–2006 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय को प्रतिवादीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अतः द्वितीय अपील के स्तर पर योग्य

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

13. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से अपील संख्या–138/2007 प्रस्तुत की गयी, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया गया। वादी हरीसिंह की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 141/2007 को स्वीकार करते हुए विवादित आराजियात में वादी हरीसिंह का 1/4 हिस्से का एवं बृजलाल के वारिसान को खसरा नम्बर 60 मिन रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा का खतोदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गयी तनकीयात पर विवेचन एवं विश्लेषण तो किया किन्तु बृजलाल के वारिसान को खसरा नम्बर 60 मिन रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है। क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विक्रय की गयी भूमि का किसी प्रकार से कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद था, जिसमें केवल मात्र यह निर्धारण करना था कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की कुल कितनी भूमि है, पक्षकारान द्वारा कितनी–कितनी भूमि का बेचान विधिनुसार किया गया है एवं बेचान करने के उपरान्त किस पक्षकार के हिस्से में कितनी कितनी भूमि शेष रहती है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित आराजी का कुल रकबा 325 बीघा 06 बिस्वा था, जिसमें लादूराम व रामकरण का आधा–आधा हिस्सा बनता है। इस प्रकार विवादित आराजी में रामकरण के वारिसान बृजलाल का कुल हिस्सा 162 बीघा 13 बिस्वा बनता है, जिसमें से खसरा नम्बर 253 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 16 बीघा 08बिस्वा एवं खसरा नम्बर 60 में से 45 बीघा कुल 128 बीघा भूमि का बेचान बृजलाल द्वारा किया जाना विचारण

न्यायालय ने तनकी संख्या–1 के निर्णय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित माना है। इस प्रकार बृजलाल द्वारा बेचान किये जाने के उपरान्त विवादित आराजी में उसके हिस्से में 34 बीघा 13 बिस्वा भूमि ही शेष रहती है जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बृजलाल के वारिसान को खसरा नम्बर 60 मिन रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है, जो तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

15. इसी प्रकार विवादित आराजियात में लादूराम के वारिसान का 1/2 हिस्सा बनता है जिसमें वादी हरीसिंह का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सम्पतसिंह एवं करणीदान का 1/4 हिस्सा बनता है, जिसका कुल रकबा 162 बीघा 13 बिस्वा का आधा रकबा 81 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वान्सी होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 सम्पतसिंह व करणीदान ने अपने हिस्से की आराजी में से 30 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वान्सी रकबा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया। उक्त से स्पष्ट है कि वादी हरीसिंह का विवादित आराजी के कुल रकबे में 81 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वान्सी भूमि का हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 सम्पतसिंह व करणीदान का विक्रय के उपरान्त 51 बीघा 01 बिस्वा भूमि शेष रहती है एवं बृजलाल के वारिसान की विक्रय के उपरान्त 34 बीघा 13 बिस्वा भूमि शेष रहती है जिसका पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

16. उपरोक्त उल्लेखित विवेचन के प्रकाश में विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के हिस्से निर्धारण करने में तो किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बेचान की गयी भूमि बाबत् स्पष्ट अभिमत व्यक्त नहीं किया गया। अतः पारित निर्णय में स्पष्ट अभिमत व्यक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय

द्वारा बृजलाल के वारिसान को अधिक रकबे का खातेदार घोषित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है अतः इसमें आंशिक संशोधन करते हुए बृजलाल के वारिसान द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन को निरस्त करते हुए उन्हें 34 बीघा 13 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

17. परिणामतः अपील संख्या 2741/2008 एवं 2744/2008 खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 4119/2008 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर बृजलाल के वारिसान को विवादित आराजियात में 34 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णय के पैरा संख्या 14 व 15 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय की गयी भूमि को उनके हिस्से में जोडते हुए सम्बन्धित तहसीलदार से विभाजन के कुरेजात तलब कर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( चैनसिंह पंवार)**
**सदस्य**

**( बी.एल. गुप्ता )**
**सदस्य**